



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-31032020-218977
CG-MH-E-31032020-218977

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2020/चैत्र 11, 1942

No. 143]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2020/CHAITRA 11, 1942

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(मानव संसाधन विभाग)

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 27 मार्च, 2020

एफ. सं. सीओ:ईआरडी:1072:2020 (ई).—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक—मण्डल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के पश्चात और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, इसके साथ ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमों, 1976, को संशोधन करने के लिए एतद द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

- (1) इन विनियमों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारियों की सेवा (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकता है।
(2) इन विनियमों में अन्यथा वर्णित प्रावधानों को छोड़ कर इन्हें बोर्ड के अनुमोदन की तिथि से प्रवृत्त समझा जाएगा।
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमों, 1976 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में संदर्भित किया जाता है) के अनुसूची के लिए, निम्नांकित स्थानापन्न होंगे, यथा:

“अनुसूची

(विनियम 3 (बी), 3 (जी), 3 (एन))

क्र. सं.	पद का नाम/श्रेणी	अनुशासनिक प्राधिकारी विनियम 3 (जी)	अपीलीय प्राधिकारी विनियम 3 (बी) एवं विनियम 17	समीक्षा प्राधिकारी विनियम 3 (एन) एवं विनियम 18
1	वेतनमान I एवं II	एनआरओ/एफजीएमओ/केंद्रीय कार्यालय पर मुख्य प्रबंधक या उन से उच्च प्राधिकारी केंद्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले वेतनमान I एवं II के अधिकारियों के मामले में,	बर्खास्तगी/निष्कासन/अनिवार्य सेवानिवृत्ति से कम के मामले में एनआरओ/एफजीएमओ/केंद्रीय कार्यालय पर सहायक महाप्रबंधक या उनसे उच्च प्राधिकारी केंद्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत	महाप्रबंधक (मास) या उनसे उच्च प्राधिकारी

		मुख्य प्रबंधक (पी/एचआर-ईआर/आईआर) या केंद्रीय कार्यालय में उनसे उच्च प्राधिकारी	आने वाले वेतनमान I एवं II के अधिकारियों के मामले में, सहायक महाप्रबंधक या ईआरडी (आईआरडी), केंद्रीय कार्यालय में उनसे उच्च प्राधिकारी. बर्खास्तगी/निष्कासन/अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में नियुक्ति स्थान का विचार किए बिना सहायक महाप्रबंधक या ईआरडी (आईआरडी), केंद्रीय कार्यालय पर उनसे उच्च प्राधिकारी.	
नोट: केंद्रीय कार्यालय में नियुक्त अनुशासनिक प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी (डीए/एए) जैसा कि उपरोक्त निर्दिष्ट है, वे क्षेत्र में नियुक्त वेतनमान I एवं II में नियुक्त अधिकारियों के संबंध में भी डीए/एए के रूप में कार्य करेंगे, यदि ऐसे अधिकारी उन संयुक्त मामलों में शामिल हैं, जिनमें उच्चतर वेतनमानों के अधिकारी शामिल हैं.				

2	वेतनमान III	सहायक महाप्रबंधक या ईआरडी (आईआरडी), केंद्रीय कार्यालय के उनसे उच्च प्राधिकारी	उप महाप्रबंधक या एचआरडी/ईआरडी (आईआरडी), केंद्रीय कार्यालय के उनसे उच्च प्राधिकारी	महाप्रबंधक (मांस) या उनसे उच्च प्राधिकारी
3	वेतनमान IV एवं V	महाप्रबंधक(मांस) या उनसे उच्च प्राधिकारी	मुख्य महाप्रबंधक या उनकी अनुपस्थिति में या उनके अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के मामले में, कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में या उनके अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के मामले में, एमडी एवं सीईओ
4	वेतनमान VI	मुख्य महाप्रबंधक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में या उनके अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के मामले में, एमडी एवं सीईओ	एमडी एवं सीईओ या उनकी अनुपस्थिति में या उनके अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के मामले में, बोर्ड की समिति
5	वेतनमान VII	कार्यपालक निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में एमडी एवं सीईओ	एमडी एवं सीईओ या उनकी अनुपस्थिति में या उनके अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के मामले में, बोर्ड की समिति	बोर्ड
6	वेतनमान VIII	एमडी एवं सीईओ या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक	बोर्ड की समिति	बोर्ड

नोट : एमडी एवं सीईओ/कार्यपालक निदेशक विशिष्ट या सामान्य आदेश के माध्यम से, मुख्य महाप्रबंधक को निर्दिष्ट करेंगे, जो अनुशासनिक प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे."

एस के महापात्रा, क्षेत्र महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./527/19]

नोट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 को निम्नांकित वर्णित के अनुसार राजपत्र में प्रकाशित किया गया है:—

क्र.स.	अधिसूचना क्र.	दिनांक
1	क्र.9 भाग III, धारा 4	1 मार्च, 1997
2	क्र.49 भाग III, धारा 4	2 दिसंबर, 2000
3	क्र.53 भाग III, धारा 4	30 दिसंबर, 2000
4	क्र.4 भाग III, धारा 4	31 अगस्त, 2004

UNION BANK OF INDIA
(Human Resources Department)
(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th March, 2020

F. No. CO:ERD:1072:2020(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Union Bank of India after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Union Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Union Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
2. In the Union Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, for the Schedule, the following schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE

[see regulation 3(b), 3(g), 3(n)]

Sl. No.	Name/ Category of Post	Disciplinary Authority Reg. 3(g)	Appellate Authority Reg. 3(b) and Reg. 17	Reviewing Authority Reg. 3(n) and Reg. 18
1	Scale I & II	Chief Manager or Authority above him at NRO/FGMO/CO In case of Officers in Scale I and II coming under jurisdiction of Central Office, Chief Manager (P/HR-ER/IR) or authority above him at CO	Asstt. General Manager or authority above him at NRO/ FGMO/ CO for cases short of dismissal/ removal/ compulsory retirement. In case of Officers in Scale I & II coming under jurisdiction of Central Office, AGM or authority above him at ERD (IRD), CO For cases of dismissal/ removal/ compulsory retirement irrespective of place of posting, AGM or authority above him at ERD (IRD), CO	General Manager (HR) or authority above him
Note:Disciplinary Authority/ Appellate Authority (DA/AA) posted at Central Office as stipulated above shall act as DA/AA even in respect of Officers in Scale I & II posted in field, in case such Officers in Scale I & II are involved in composite cases which involve other Officers in higher Scales.				
2	Scale III	Asst. General Manager or authority above him at ERD (IRD), CO	Dy. General Manager or authority above him at HRD/ ERD(IRD), CO	General Manager (HR) or authority above him

3	Scale IV & V	General Manager (HR) or Authority above him	Chief General Manager or in his absence or in case he is functioning as Disciplinary Authority, Executive Director	Executive Director or in his absence or in case he is functioning as Appellate Authority, the MD & CEO
4	Scale VI	Chief General Manager or in his absence Executive Director	Executive Director or in his absence or in case he is functioning as Disciplinary Authority, MD & CEO	MD & CEO or in his absence or in case he is functioning as Appellate Authority, the Committee of the Board
5	Scale VII	Executive Director or in his absence MD & CEO	MD & CEO or in his absence or in case he is functioning as Disciplinary Authority, the Committee of the Board	Board
6	Scale VIII	MD & CEO or in his absence Executive Director	The Committee of the Board	Board

Note : The Managing Director and Chief Executive Officer or the Executive Director shall, by way of a specific or general order, would specify the General Manager or Chief General Manager, who shall act as the Disciplinary Authority.”

S. K. MOHAPATRA, Field General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./527/19]

Note : Earlier amendment to the Union Bank of India Officer Employees’ (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 were published in the Gazette as per details given below :—

Sl. No.	Notification No.	Date
1.	No. 9 Part III, Section 4	1 st March, 1997
2.	No. 49 Part III, Section 4	2 nd December, 2000
3.	No. 53 Part III, Section 4	30 th December, 2000
4.	No. 4 Part III, Section 4	31 st August, 2004